A.One Homes

7704

बयनामा

बयनामा 3,95,000/- रु० मालियत 2,54,000/रु० स्टाम्प 40,000/- रु०

हम कि मान सिंह व केसरी सिंह पुत्रगण देवी निवासीगण ग्राम हरथला तहसील व जिला मुरादाबाद के हैं। 280 - 0.227

Exchange 466 - 0.26

BUY DEED #7A

हरथला अहतमाली

जो कि एक किता जायदाद जेल व जमी ताल्लुकात मुताल्लिका उसके बाके .... इलाके मुरादाबाद व .... परगना व जिला मुरादाबाद महदूदा जेल जिसके मुकिर/मुकिरान बहैसियत मालिकाना मालिक काबिज व दखील है जिसकी निस्बत मुझको/हमको कुल अख्तयारात इन्तकालात मालिकाना प्राप्त है कोई आग्रमाने इन्तकाल हाजा नहीं है जो इस समय तक हर प्रकार के बार मिस्ल रहन, बय, हिबा, जमानत, किफालत, कुर्की व नीलामी, मुआवदा बय दीगरे लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स कानूनी व शाहशी आदि से कतई बरी व पाक साफ है। लिहाजा बहालत दुरुस्ती होस हवास खमसा बिला बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच समझकर तमामी शयमुबईया मजकूरा बाला को मय तमामी हुदूद व हुकूक दाखली व खारजी व मय हुकूक आबरेजी हर किस्म व मय हक रास्ता आमोदरफ्त व मय दीगर कुल हक व हुकूक मुताल्लिका उसके को बिला छोड़े किसी जुज व हक व हिस्से के बिलएवज मुबलिग .... 3,95,000/- तीन लाख पिचानवे हजार .... आधे जिसके .... 1,97,500/- एकलाख सत्तानवे हजार पाँच सौ .... रुपये होते हैं।

बदस्त

एवन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, एम-115 ग्रेटर कैलाश सैकेण्ड नई दिल्ली द्वारा डायरैक्टर निशाद मन्सूर पत्नी मौहम्मद मन्सूर।

बय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्ब तफसील जैल खरीदार से वसूल पाकर तमामी शयमुबईया मजकूरा बाला का कब्जा व दखल मालिकाना मिस्ल आत खास अपनी के खरीदार मजकूर का मैंने/हमने करा दिया अब मेरा/हमारा या किसी वारिस का कुछ हक व ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी किस्म का निस्बत शयमुबईया या जरे समन उसके से बाकी नहीं रहा और न आइन्दा कभी होगा। चूनांचे तकाबिजुल बदलेन उसका बाहम विक्रेता और खरीदार मजकूर के अमल में आ गया जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका व जिम्मे मेरे/हमारे है अगर बाद को कोई नुक्स कानूनन या शास्त्रन बाकि आवे। अगर बाद को किसी वक्त में किसी पैरा विक्रेता या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की दावेदारी से शयमुबईया का जुज या कुल (कब्जे) खरीदार या वारिसान उनके से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शयमुबइया खरीदार का कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पड़े तो उसी कदर जरे समन की वापसी का मुकिर/मुकिरान मजकूर अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार रहूँगा/रहेंगे बनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां बजिम्मे मुकिर/मुकिरान होगा। अब खरीदार को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी में से हमारा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले विक्रेता वारिसान मुकिरान को कुछ उज्र व एतराज न होगा। अतः यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। इति।

तफसील जायदाद ....

जो कि आराजी काश्त भूमिधारी बावत खाता

नि० मान सिंह नि० केसरी सिंह

30

01AA 503195

नम्बर 190 खसरा नम्बर 280 रकबा 0.227 है0 व खसरा
नम्बर 286 रकबा 0.028 है0 कुल दो किता रकबा 0.255 है0
लगानी तादादी 6.30 रुपये का पूर्ण भाग तथा खाता
नम्बर 109 खसरानम्बर 296 रकबा 0.117 है0 व खसरा

ह0 310 ज्ञान सिंह

ह0 केसरी सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

01AA 503197

-4-

पूर्णतया इन्तकाल का हक हासिल है जो कि इस वक्त तक हर किस्म के बार वगैरा से कतई बरी व पाक व साफ है आराजी का पूर्व में कोई मुआयदाबय नहीं किया गया है वक्फ कस्टोडियन की सम्पत्ति नहीं है मुकिरान अनु०जाति/जन जाति के सदस्य नहीं है आराजी मजकूर पूर्णतया खेती की भूमि है और मौके पर खेती हो रही है जिसमें कोई भी पेड़ कूप या भवन आदि

कि. ... सिंह 310

कि. केसरी सिंह

0JAA 503193

नही है मुकिरान नेअपना पूर्ण भाग बय कर दिया है अब नम्बरान मजकूर में कोईभी मुकिरान का हिस्सा बाकी नही रहा है और न ही आइन्दा होगा । आराजी भाय मुबईया का सरीकल रेट मूल्यांकन सूची के पेज सं0-5 के अनुसार मुवलिग 2,00,000/- रूपये प्रति एकड से निर्धारित है तदनुसार आंकलन करके स्टाम्प की अदायगी नियमानुसार की गयी है । तथा

अ0

मुकिरान के फोटो गवाहन व खरीदार की पहचान पर एस0 माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये है ।

तफसील वसूली जरे समन- मुबलिग 3,95,000/- रूपये कब्ल रजिस्टरी बयनामा हाजा प्राप्त किये ।

नि0 अं0 भान सिंह नि0 अं0 केसरी सिंह

सा0 रूपा S/o तोताराम R/o हरथला मुरादाबाद

सा0 ताराचन्द S/o मुन्नालाल R/o हरथला मुरादाबाद

बयनामा हाजा आज दिनांक 14-9-2000 को बमुकाम मुरादाबाद बाइकरार मुकिरान बमशवरा एस0 माथुर एडवोकेट धर्मपाल सिंह ने टाइप किया ।

83

8 11 2000

809

30/9/2000

I 3103 209/220

7704